भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम।

विविध वाद सं0 127/2022–23 (S.T.)

निमाई मुर्मू .... प्रथम पक्ष।

बनाम

विमल कुमार हॉसदा .... द्वितीय पक्ष।

कमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की का
08/4/23	यह वाद मौजा– पावड़ा, थाना नं0 112, खाता नं0 53, प्लॉट न0 246, रकवा 3.70 डी0, दोन III, वार्षिक लगान 3.00 रू0, भूमि के अन्तरण से संबंधित है। इस वाद के आवेदक निमाई मुर्मू, पिता स्व0 बलराम मुर्मू, ग्रम कॉकड़ीशोल, थाना घाटशिला, जिला –पूर्वी सिंहभूम के निवासी हैं। विपक्षी विमल कुमार हॉसदा, पिता स्व0 जगत राम हॉसदा, ग्रम जगन्नाथपुर, थाना घाटशिला, जिला – पूर्वी सिंहभूम के निवासी हैं इनका वर्तमान पता ग्राम बेनागाड़ीया, थाना गुड़ाबान्दा, जिला पूर्वी सिंहभूम है। इस वाद में निर्गत सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आवेदक के द्वारा प्रश्नगत भूमि के अन्तरण हेतु समर्पित कागजात एवं शपथ पत्र सं0 13 एवं 14 दिनांक 24.12.2022 तथा अंचल अधिकारी, घाटशिला के पत्रांक 209 दिनांक 31.03.2023 के माध्यम से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। जाँच प्रतिवेदनानुसार आवेदित भूमि आवेदक की माता झरना मुर्मू के द्वारा निबंधित विकी केवाला सं0 562 दिनांक 21.03.1997 के माध्यम से कय किया गया तथा नामान्तरण मुकदमा सं0 408/R27/2018–19 के माध्यम से नामान्तरण करा लिया गया है। आवेदक की माता आवेदित भूमि के जमाबंदी रैयत हैं। आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदक को उक्त जमीन बिकी हेतु प्रथम द्रष्टया हक प्राप्त है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि उनके परिवार के जीवन निर्वाह हेतु लगभग 2.5 एकड़ से अधिक जमीन शेष बचता है । आवेदक आवेदित भूमि को आवश्यक पारिवारिक खर्च एवं ऋण अदायगी इत्यादि की प्रतिपूर्ति के लिए 800,000.00 (आठ लाख) रू0 में बिकी करना चाहतें हैं, जो अपरिहार्य है। दिनांक 27.12.2022 को निर्गत सर्वसाधारण सूचना के विरूद्ध अब तक किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। उभय पक्ष अर्थात बिकेता एवं केता अनुसूचित जन जाति के सदस्य है एवं एक ही थाना के अन्तर्गत निवास करते हैं। अतः उपर्युक्त प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, घाटशिला से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 46(क) के अन्तर्गत आवेदित भूमि के अन्तरण हेतु आवेदक को इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान की जाती है कि केता एवं बिकेता बिकी की जाने वाली भूमि के हक/दखल कब्जा/कोई विवाद के लिए स्वयं जिम्मेवार होंगें। लेखापित भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम। (अधिनियम के अन्तर्गत उपायुक्त) Digitally signed by NEET NIKHIL SURIN Date: 2024.09.20 13:35:34 +05:30 Location: 192.168.1.41	Issued c.c. of last order